बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र0/BSPGCL-01/2018 पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय :– **बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (BSPGCL) की बेगूसराय स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थान बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान (BTPS), मुजफ्फरपुर स्थित संयुक्त उपक्रम काँटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (KBUNL) तथा औरंगाबाद स्थित संयुक्त उपक्रम नवीनगर पावर जेनरेटींग कंपनी लिमिटेड (NPGCL) के ताप विद्युत प्रतिष्ठानों को कंडिका–8 के अनुसार भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न ईकाई/उपक्रम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) को पूर्णरूपेण हस्तांतरण के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

बेगूसराय जिला स्थित बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान (वर्तमान ईकाई संख्या 6 एवं 7 (2x110 MW) एवं विस्तारित ईकाई संख्या 8 एवं 9 (2x250 MW)) बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (BSPGCL) की पूर्ण स्वामित्व वाली विद्युत उत्पादन प्रतिष्ठान है तथा काँटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (KBUNL) (पूर्ववर्ती मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन) (ईकाई संख्या 1 एवं 2 (2x110 MW) एवं विस्तारित ईकाई संख्या 3 एवं 4 (2x195 MW)) एवं नवीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (NPGCL) (3x660MW), बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड एवं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) का संयुक्त उपक्रम है।

2. उपरोक्त वाष्प शक्ति प्रतिष्ठानों के संचालन एवं रख–रखाव से संबंधित माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2017 को एक उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें माननीय ऊर्जा मंत्री, बिहार सरकार/सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, एन०टी०पी०सी०/क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, एन०टी०पी०सी०/प्रबंध निदेशक, बी०एस०पी०जी० सी०एल० एवं वरीय पदाधिकारीगण सम्मिलित थे। बैठक में समीक्षा तथा विमर्शोपरांत निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की गई–

(क) एन०टी०पी०सी० को वाष्प शक्ति प्रतिष्ठानों के निपुणतापूर्वक संचालन में पूर्ण दक्षता प्राप्त है।

(ख) कोल रेशनाईलेशन की सुविधा होने के कारण एन०टी०पी०सी० को कम मूल्य पर कोयला उपलब्ध होगा।

(ग) उक्त परियोजनाओं के निर्माण एवं संचालन हेतु एन०टी०पी०सी० को कम ब्याज दर पर ऋण की उपलब्धता होगी।

(घ) सीमित संसाधनों के कारण ईकाईयों से अनवरत उत्पादन पर संकट तथा संसाधनों की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ कम होगी।

बैठक के उपरांत यह प्रस्ताव दिया गया कि उपर्युक्त वर्णित तीनों वाष्प शक्ति प्रतिष्ठानों को उपरोक्त कारणों से एन०टी०पी०सी० को पूर्णतः हस्तांतरण कर दिए जाने पर इन प्रतिष्ठानों से उत्पादित होने वाली बिजली की दर सस्ती होगी एवं संसाधनों के बेहतर उपयोगिता से वितरण कंपनियां एवं राज्य की जनता दोनों ही लाभान्वित होंगे।

3. दिनांक 18.09.2017 के बैठक के आलोक में उक्त विषय पर विस्तृत विचार विमर्श एवं समीक्षा हेतु दिनांक 03/24.11.2017 को अध्यक्ष, बी०एस०पी०जी०सी०एल० की अध्यक्षता में बी०एस०पी०जी० सी०एल० एवं एन०टी०पी०सी० के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपर्युक्त वर्णित तीनों वाष्प शक्ति प्रतिष्ठानों को एन०टी०पी०सी० को पूर्णतः हस्तांतरण एवं तदोपरान्त बिहार राज्य को होने वाले लाभ एवं ट्रांसफर स्कीम पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में यह प्रस्ताव दिया गया कि बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, संयुक्त उपक्रम काँटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा संयुक्त उपक्रम नवीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड को मान्य शर्तों के अनुकूल एन०टी०पी०सी० को पूर्णतः हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव सरकार के अनुमोदन हेतु उपस्थापित किया जाए।

4. बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान की स्टेज–1 परियोजना हेतु राज्य सरकार द्वारा निवेशित अंशपूँजी जो 290.86 करोड़ रुपये है एवं शेष राशि 581.20 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा बी०आर०जी०एफ० के मद में अनुदान के तहत खर्च किया गया है। इसी प्रकार बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान के स्टेज–2 परियोजना हेतु कुल 3819.10 करोड़ रुपये वित्तीय संस्थानों से ऋण के रुप में प्राप्त हुआ है तथा 1405.09 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा अंशपूंजी के मद में खर्च किया जा चुका है। अतः इन परियोजनाओं हेतु राज्य सरकार द्वारा कुल निवेशित अंशपूंजी 1696.76 करोड़ रुपये है।

क) उपर्युक्त हस्तांतरण के क्रियांवयन हेतु तैयार किए गए Asset Transfer Scheme के तहत बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान की वर्तमान ईकाई संख्या 6 एवं 7 (2x110 MW) तथा विस्तारित ईकाई संख्या 8 एवं 9 (2x250 MW) के स्वामित्व हस्तांतरण के क्रम में एन०टी०पी०सी० से रू० 4.78 करोड़ प्रति मेगावाट के दर से कुल रू० 3441.60 करोड़ बी०एस०पी०जी०सी०एल० को प्राप्त होना है। उक्त दर का निर्धारण वर्तमान में राज्य को बिजली प्रदान करने वाली एन०टी०पी०सी० (एवं इसके संयुक्त उपक्रम) के विद्युत उत्पाद प्रतिष्ठानों के केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, भारत सरकार से अनुमोदित भारित औसत पूँजी लागत के आधार पर किया गया है।

ख) बरौनी के स्टेज–1 तथा स्टेज–2 को व्यवसायिक उत्पादन (COD) तक पूर्ण करने हेतु क्रमशः 20.00 करोड़ रूपये (आकस्मिक एवं विविध व्यय के मद में) तथा 1348.00 करोड़ रूपये के व्यय का आकलन किया गया है। विदित है कि यह हस्तांतरण **as-is, where-is** के आधार पर किये जाने का प्रस्ताव है तथा उपरोक्त राशि Transfer consideration से उपयोग कर एन०टी०पी०सी० द्वारा शेष कार्य को पूर्ण कराया जाएगा।

ग) बरौनी की स्टेज–1 एवं स्टेज–2 से उत्पादित बिजली का 100 प्रतिशत उपभोग राज्य की वितरण कंपनियों द्वारा ही किया जाना है।

घ) बी०टी०पी०एस० स्टेज–1 तथा स्टेज–2 को पूर्ण करने हेतु अनुमानित लागत क्रमशः 150.00 करोड़ रूपये एवं 6303.00 करोड़ रूपये है, जिसके आधार पर टैरिफ क्रमशः 5.32 रूपये प्रति यूनिट तथा 6.30 रूपये प्रति यूनिट आकलित किया गया है। एन०टी०पी०सी० को हस्तांतरण के पश्चात् स्टेज–1 तथा स्टेज–2 का मूल्यांकन क्रमशः 150.00 करोड़ रूपये तथा 3292.00 करोड़ रूपये (कुल 3441.6 करोड़ रूपया) आकलित किया गया है, जिसके आधार पर टैरिफ क्रमशः 5.11 रूपये प्रति यूनिट तथा 4.37 रूपये प्रति यूनिट आकलित किया गया है तथा इससे प्रतिवर्ष कुल 685.00 करोड़ रूपये की बचत संभावित है।

(ङ) हस्तांतरण के पश्चात् बरौनी स्टेज–1 का आकलित टैरिफ 5.11 रुपया प्रति यूनिट है जिसमें निर्धारित प्रभार (फिक्सड चार्जेज) 1.11 रुपया प्रति यूनिट तथा परिवर्ती प्रभार (वेरियेबल चार्जेज) 4.00 रुपया प्रति यूनिट है। सामान्य परिस्थितियों में (कानूनी, वैधानिक एवं प्राकृतिक आपदा की परिस्थितियों को छोड़कर) एन0टी0पी0सी0 द्वारा स्टेज–1 के संचालन के क्रम में

30.11.2017 तक व्यय के आधार पर आकलित है, वास्तविक व्यय का समायोजन हस्तांतरण की तिथि से किया जाना है।

8. उपरोक्त बिन्दुओं एवं तथ्यों के आलोक में निम्नलिखित शर्तों के साथ हस्तांतरण का प्रस्ताव है :-

(क) बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थान बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान की वर्तमान ईकाई संख्या 6 एवं 7 (2x110 MW) एवं विस्तारित ईकाई संख्या 8 एवं 9 (2x250 MW) को वर्तमान में राज्य को बिजली प्रदान करने वाली एन०टी०पी०सी० (एवं इसके संयुक्त उपक्रम) के विद्युत उत्पादन प्रतिष्ठानों के केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, भारत सरकार से अनुमोदित भारित औसत पूँजी लागत के आधार पर कुल 3441.6 करोड़ रुपये राशि एन०टी०पी०सी० से प्राप्त करते हुए बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान के स्वामित्व को एन०टी०पी०सी० को हस्तांतरण की स्वीकृति।

(ख) मुजफ्फरपुर स्थित संयुक्त उपक्रम काँटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (2x110 मेगावाट+2x195 मेगावाट) हेतु राज्य सरकार द्वारा निवेशित अंशपूँजी, परिसम्पत्तियों में हिस्सा एवं प्रवेश कर की राशि लगभग 392.8 करोड़ रूपये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से वापस प्राप्त करते हुए इस प्रतिष्ठान को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को पूर्णरूपेण हस्तांतररित करने की स्वीकृति।

(ग) संयुक्त उपक्रम नवीनगर पावर जेनरेटिंग कम्पनी लि0 (3x660MW) हेतु राज्य सरकार द्वारा निवेशित अंशपूँजी, परिसम्पत्तियों में हिस्सा एवं प्रवेश कर की राशि लगभग 1659.9 करोड़ रूपये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से वापस प्राप्त करते हुए इस प्रतिष्ठान को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को पूर्णरूपेण हस्तांतररित करने की स्वीकृति।

(घ) उपरोक्त तीनों वाष्प शक्ति प्रतिष्ठानों के एन०टी०पी०सी० लिमिटेड को हस्तांतरण करने के क्रम में एन०टी०पी०सी० से प्राप्त होने वाली राशि को बी०टी०पी०एस० निर्माण में लिए गये ऋण की वापसी, बी०टी०पी०एस० की ईकाई 8 एवं 9 को पूर्ण करने में वांछित राशि का व्यय एवं उसके पश्चात् शेष राशि से राज्य के वितरण कम्पनियों पर ऊर्जा मद में एन०टी०पी०सी० की बकाये राशि का समायोजन की स्वीकृति।

(ङ) उक्त परियोजनाओं को एन०टी०पी०सी० को हस्तांतरण करने हेतु Asset Transfer Scheme के तहत कार्रवाई करने की स्वीकृति।

(च) बी०टी०पी०एस०, बरौनी एवं के०बी०यू०एन०एल०, काँटी में स्थित दोनों वाष्प शक्ति प्रतिष्ठानों के साथ हस्तांतरित होने वाले बी०एस०पी०जी०सी०एल० की भूमि को अगले तैंतीस वर्षों के लिए 1 (एक) रुपये वार्षिक दर पर लीज पर एन०टी०पी०सी० को देने की स्वीकृति।

9. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (BSPGCL) की बेगूसराय स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थान बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान (BTPS), मुजफ्फरपुर स्थित संयुक्त उपक्रम कॉटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (KBUNL) तथा औरंगाबाद स्थित संयुक्त उपक्रम नवीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (NPGCL) के ताप विद्युत प्रतिष्ठानों को कंडिका–8 के अनुसार भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न ईकाई/उपक्रम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) को पूर्णरूपेण हस्तांतरण के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

10. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

निर्धारित प्रभार में यदि आकलित निर्धारित प्रभार से 10 प्रतिशत (अधिकतम 11 पैसे प्रति यूनिट) से अधिक की बढोतरी की संभावना होने पर एन0टी0पी0सी0 द्वारा परियोजना पर किये जाने वाले अतिरिक्त ब्यय की पूर्वानुमति बिहार सरकार से प्राप्त करनी होगी। इसी प्रकार बरौनी स्टेज–2 का आकलित टैरिफ 4.37 रुपया प्रति यूनिट है जिसमें निर्धारित प्रभार (फिक्सड चार्जेज) 2.16 रुपया प्रति यूनिट तथा परिवर्ती प्रभार (वेरियेबल चार्जेज) 2.21 रुपया प्रति यूनिट है। सामान्य परिस्थितियों में (कानूनी, वैधानिक एवं प्राकृतिक आपदा की परिस्थितियों को छोड़कर) एन0टी0पी0सी0 द्वारा स्टेज–2 के संचालन के क्रम में निर्धारित प्रभार में यदि आकलित निर्धारित प्रभार से 10 प्रतिशत (अधिकतम 22 पैसे प्रति यूनिट) से अधिक की बढ़ोतरी की संभावना होने पर एन0टी0पी0सी0 द्वारा परियोजना पर किये जाने वाले अतिरिक्त ब्यय की पूर्वानुमति बिहार सरकार से प्राप्त करनी होगी।

5. बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान की परियोजनाओं हेतु प्रयुक्त कुल भूमि 853.62 एकड़ है जिसका वर्तमान मूल्य 712.32 करोड़ रुपये आकलित है। **यदि भूमि के वर्तमान मूल्य को एन०टी०पी०सी० से नहीं प्राप्त करते हुए भूमि को 33 वर्षों के लिए एक रुपये के सांकेतिक दर पर लीज पर दिया जाता है तब बी०टी०पी०एस० स्टेज–1 तथा स्टेज–2 से उत्पादित होने वाली बिजली की दर क्रमशः 36 पैसे प्रति यूनिट तथा 15 पैसे प्रति यूनिट सस्ती होगी एवं प्रति वर्ष 99.51 करोड़ रूपये की बचत संभावित है। अतः यह प्रस्ताव है कि बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान की उक्त परियोजनाओं हेतु प्रयुक्त भूमि को एन०टी०पी०सी० को 33 वर्षों के लिए एक रुपये के सांकेतिक दर पर लीज पर दिया जाय।**

6. इसी प्रकार के०बी०यू०एन०एल० की परियोजनाओं हेतु प्रयुक्त कुल भूमि 834.84 एकड़ है जिसका वर्तमान मूल्य 1495.88 करोड़ रुपये आकलित है, तथा पूर्व में इस भूमि को 33 वर्षो के लिए एक रुपये के सांकेतिक दर पर संयुक्त उपक्रम के०बी०यू०एन०एल० को लीज पर दिया गया है। यदि भूमि के वर्तमान मूल्य को एन०टी०पी०सी० से नही प्राप्त करते हुए भूमि को 33 वर्षों के लिए एक रुपये के सांकेतिक दर पर लीज पर दिया जाता है तब के०बी०यू०एन०एल० स्टेज–1 तथा स्टेज–2 से उत्पादित होने वाली बिजली की दर क्रमशः 2.01 रूपये एवं 21 पैसे प्रति यूनिट सस्ती होगी एवं प्रति वर्ष 314.93 करोड़ रूपये की बचत संभावित है। अतः यह प्रस्ताव है कि के०बी०यू०एन०एल० की उक्त परियोजनाओं हेतु प्रयुक्त भूमि को एन०टी०पी०सी० को 33 वर्षों के लिए एक रुपये के सांकेतिक दर पर लीज पर दिया जाय।

7. Asset Transfer Scheme के तहत बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान की वर्तमान ईकाई संख्या 6 एवं 7 (2x110 MW) तथा विस्तारित ईकाई संख्या 8 एवं 9 (2x250 MW) के स्वामित्व हस्तांतरण के क्रम में एन०टी०पी०सी० से रू० 4.78 करोड़ प्रति मेगावाट के दर से कुल राशि 3441.60 करोड़ रूपये, के०बी०यू०एन०एल० में बी०एस०पी०जी०सी०एल० की हिस्सापून्जी की वापसी के प्रतिफल के रूप में कुल राशि 392.80 करोड़ रूपये एव एन०पी०जी०सी०एल० में बी०एस०पी०जी०सी०एल० की हिस्सापून्जी की वापसी के प्रतिफल के रूप में कुल राशि 1659.90 करोड़ रूपये बी०एस०पी०जी०सी०एल० को प्राप्त होना है। बरौनी के स्टेज–1 तथा स्टेज–2 को व्यवसायिक उत्पादन (COD) तक पूर्ण करने हेतु क्रमशः 20.00 करोड़ रूपये (आकस्मिक एवं विविध व्यय के मद में) तथा 1348.00 करोड़ रूपये के व्यय का आकलन किया गया है तथा इस राशि को एन०टी०पी०सी० द्वारा retain करते हुए बरौनी परियोजनाओं को पूर्ण कराया जाएगा। प्राप्त राशि में से सर्वप्रथम बरौनी की स्टेज–2 परियोजना हेतु लिए गए ऋण की राशि 3819.10 करोड़ रूपये का बी०एस०पी०जी०सी०एल० द्वारा भुगतान किया जाएगा। उपरोक्त व्यय के पश्चात् शेष राशि 307.20 करोड़ रूपये से वितरण कंपनियों के ऊर्जा मद में के०बी०यू०एन०एल० के बकाया विपत्रों (अद्यतन ऊर्जा बकाया–304.93 करोड़ रूपये का समायोजन किया जाना है। उपरोक्त गणना दिनांक

11. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/BSPGCL-01/2018 के पृष्ठ संख्या–31/टि0 पर दिनांक–17.04.2018 को प्राप्त है।

12. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/BSPGCL-01/2018 के पृष्ठ संख्या– 33/टि0 पर दिनांक–26.04.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSPGCL-01/2018 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSPGCL-01/2018 1217 /पटना, दिनांक– 26/04/2018

प्रतिलिपिः– मा0 मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मा0 मंत्री ऊर्जा के आप्त सचिव/सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/अध्यक्ष, बिहार विद्युत विनियामक आयोग, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, एन0टी0पी0सी0, स्कोप कम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली/क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक, पूरव–I एन0टी0पी0सी0– लोकनायक जयप्रकाश भवन, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/ बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कम्पनी लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ/नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम/निदेशक, ब्रेडा, सोन भवन, पटना/समाहर्त्ता, बेगुसराय/मुजफ्फरपुर/औरंगाबाद एवं आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/4

सरकार के प्रधान सचिव।